बाबा साहब की परिकल्पनाओं को प्रधानमंत्री ने साकार किया : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को बिड़ला सभागार में अखिल भारतीय रैगर महासभा के प्रतिनिधि सम्मेलन और अभिनंदन समारोह को सम्बोधित किया।

■ 'हर वर्ग का विकास हमारा संकल्प, संत आत्माराम लक्ष्य का बनाएंगे पैनोरमा'

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिला, गरीब, युवा और किसान सहित हर वर्ग के उत्थान से ही देश का उत्थान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि देश का हर वर्ग, हर जाति और हर समाज उन्नित कर रहा है। मुख्यमंत्री शर्मा बुधवार को बिड़ला सभागार में अखिल भारतीय रैगर महासभा के प्रतिनिधि सम्मेलन और अभिनंदन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने संत जीवाराम, संत आत्माराम और बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन कर समाज प्रतिभाओं को बधाइयां दीं। शर्मा ने कहा कि आजादी पूर्व से ही रैगर समाज का राष्ट्रिहत में अहम योगदान रहा है। हमारी सरकार ने भी आवश्यक निर्णय लेकर सभी समाजों के विकास कार्यों को गति दी है। इस दौरान उन्होंने देश में संस्कृति, विरासत और समाज समानता में अहम भूमिका निभाने वाले 'संत आत्माराम लक्ष्य' का पैनोरमा बनाने के लिए घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे संत आत्माराम लक्ष्य के विचारों को आत्मसात कर युवा राष्ट्र विकास के मार्ग पर चल सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जिस समतामूलक और शिक्षित समाज की परिकल्पना की थी, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साकार कर रहे हैं। भावी पीढ़ी को डॉ. अंबेडकर के राष्ट्र विकास में योगदान, अमूल्य कार्यों व विचारों से प्रेरणा मिलेगी। इसके लिए उनके जीवन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित गया है। उन्होंने कहा कि पंचतीर्थ भ्रमण योजना के तहत राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को पंचतीर्थों का भ्रमण करा रही है। शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री ने बाबा साहब की विरासत और आजाद भारत को लेकर देखे गए सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भी बाबा साहब के विचारों और आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाज को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और अनाथ व जरुरतमंद बच्चों की देखभाल के लिए पालनहार योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही हैं। विमुक्त, घुमंतू और अद्धर्घुमंतू समुदाय के कल्याण के लिए 'दादूदयाल घुमंतू सशक्तिकरण योजना' में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन समुदाय को 26 हजार आवासीय पट्टे देने का बड़ा कार्य भी किया गया है। शर्मा ने कहा कि जयपुर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तहत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एण्ड रिसर्च की शुरुआत भी की गई है। शर्मा ने कहा कि देश में अब गरीबी हटाओ के नारों के बजाय गरीब कल्याण की दिशा में कार्य हो रहे हैं। श्री शर्मा ने समाज के लोगों से बाबा साहब के बताए रास्तों पर चलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान निभाने के लिए आव्हान किया है।

इस अवसर पर दिल्ली से सांसद योगेंद्र चांदोलिया, विधायक रामसहाय वर्मा, महासभा अध्यक्ष बी.एल. नवल सहित विभिन्न राज्यों से आए समाज के प्रबुद्धजन उपस्थित थे।

सिटी पैलेस में 20 जून तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर

महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट की ओर से सिटी पैलेस, जयपुर में आयोजित सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने उद्घाटन किया।

जयपुर। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट द्वारा सिटी पैलेस, जयपुर में आयोजित सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि "सिटी पैलेस में पिछले 28 वर्षों से सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन निरंतर रूप से प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। हमारे परिवार की सदैव यह प्राथमिकता रही है कि पारंपरिक कलाओं और शिल्प को संरक्षित रखा जाए तथा उन्हें प्रोत्साहित कर अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। हम इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" गौरतलब है कि यह शिविर पारम्परिक कलाओं की प्रतिनिधि संस्था रंगरीत तथा सरस्वती कला केन्द्र के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजस्थान की कला और संस्कृति विश्व स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान रखती है, और इसे आगे बढ़ाने का कार्य हमारी भावी पीढ़ियां करेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में स्थानीय कलाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 'वॉल पेंटिंग' पहल की शुरुआत की है। इस प्रयास से देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत की जानकारी प्राप्त होगी और पारंपरिक कला को नया जीवन मिलेगा।

एक माह तक चलने वाले इस सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों को चित्रकला, आला गिला, आराईश, ध्रुवपद, कथक, बांसुरी, कैलीग्राफी, वैदिक ज्योतिष जैसी पारंपरिक कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष प्रशिक्षण शिविर में एक नई कला शैली ठीकरी (मिरर वर्क) को भी शामिल किया गया है। शिविर के दौरान प्रसिद्ध कला विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न पारंपरिक कला रूपों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। शिविर का समापन 20 जून को होगा।

'राइजिंग राजस्थान के एमओयू को धरातल पर उतारना रीको की प्राथमिकता'

रीको के अधिकारियों की दो दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यशाला का बुधवार को समापन हुआ।

जयपुर। रीको द्वारा 20 व 21 मई को दो दिवसीय "कैपेसिटी बिल्डिंग" विषय पर जयपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त राजस्थान में रीको के इकाई कार्यालयों में पदस्थापित इकाई प्रभारियों एवं उप-इकाई प्रभारियों सहित रीको के मुख्यालय में कार्यरत उच्चाधिकारी शामिल हुए।

कार्यशाला में विभिन्न विषयों यथा रीको डिस्पोजल ऑफ लैण्ड रूल्स, 1979(समय-समय पर संशोधित), भूमि का चिन्हीकरण तथा राजस्थान सरकार से भूमि के आवंटन की प्रक्रिया, निजी खातेदारों से भूमि अवाप्ति, औद्योगिक क्षेत्रों की प्लानिंग, भूखण्ड़ आवंटन एवं निरस्तीकरण प्रक्रिया, आई.टी., ईआरपी मॉड्यूल्स का बेहतर उपयोग, कानूनी तथ्यों तथा नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, सिविल वर्क्स तथा एमओयू मॉनिटरिंग, फाईनेंशियल रिपोर्टिंग, इन्वेस्टर्स फैसिलिटेशन आदि विषयों के बारे में विस्तृत चर्चा की गयी तथा रीको की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपना अनुभव एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त निवेशकों को आकर्षित करने तथा उन्हे बेहतर सेवाऐं उपलब्ध करवाना, उद्यमियों की समस्याओं को सुनना तथा उनका उचित समाधान करने, बेहतर पर्यावरण प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव से संबंधित बेहतरीन कार्यप्रणालियों(बेस्ट प्रेक्टिस) के बारे में बताया गया तथा उन्हे प्रोत्साहित करने हेतु प्रेरित किया गया। राइजिंग राजस्थान में रीको के करीब 4720 एमओयू निष्पादित हुए हैं, इन एमओयू को धरातल पर उतारकर राज्य में निवेश करवाना ही रीको की प्राथमिकता है। इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने से राज्य के आर्थिक विकास को बढावा मिलेगा। साथ ही साथ लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी दिशा में रीको ने प्रत्यक्ष भू-आवंटन योजना-2025 जारी की गयी। जिसके द्वितीय चरण के अंतर्गत 28 मई, 2025 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सभी इकाई प्रभारियों को दिशा-निर्देश दिए गए कि वो हर एमओयू होल्डर से व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें प्रत्यक्ष आवंटन योजना में आवेदन करने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनका एमओयू धरातल पर उतर सके। सभी इकाई प्रभारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ आवंटियों की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से करें। साथ ही निकट भविष्य में राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेश आकर्षण हेतु कार्यशाला में उपस्थित इकाई प्रभारियों तथा उप-इकाई प्रभारियों से फीडबेक व सुझाव प्राप्त किए, ताकि आवश्यक सुधार किया जा सके।

कंवरलाल मीणा की आज सदस्यता रद्द नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा : जूली

जयपुर। अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द नहीं करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरपार की लड़ाई का ऐलान करते हुए कह दिया है कि अगर आज विधानसभा अध्यक्ष कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द करने का फैसला नहीं लेते हैं तो मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाकर इसकी लड़ाई लड़ूंगा।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए जूली ने कहा कि एक महीने का समय हो गया, लेकिन अंता विधायक की सदस्यता अभी तक रद्द नहीं की गई है। एक देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं। विधानसभा के आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, अगर कोई स्पीकर के लिए ऑफ द रिकॉर्ड ही कुछ कह दे तो वे संविधान की बात करने लगते हैं। अब 21 दिन से विधायक की सदस्यता रद्द करने का फैसला नहीं ले पा रहे हैं। हम चार बार राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के पास गए। जूली बोले कि जब लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का फैसला हुआ था तब तो अटॉर्नी जनरल से फाइल नहीं मंगाई गई। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कंवरलाल मीणा के मामले में एजी को फाइल भेजने की बात करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा।

इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एक महीने का समय हो गया और विधानसभा अध्यक्ष कंवरलाल मीणा के मामले में फैसला नहीं ले पा रहे हैं। यह बात बहुत स्पष्ट है कि वह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं।

शैक्षणिक रिकॉर्ड में मां का नाम सिर्फ विवरण नहीं बच्चे की पहचान का है धागा : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि बच्चे के शैक्षिणक रिकॉर्ड में मां का नाम सिर्फ एक विवरण नहीं, बल्कि बच्चे की पहचान का वो धागा है जो उसके व्यक्तित्व को बुनता है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि यदि याचिकाकर्ता स्कूल के प्रिंसिपल से सत्यापन कर मां का नाम संशोधन का प्रार्थना पत्र पेश करता है तो बोर्ड अंक तालिकाओं में सुधार करे। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश चिराग नरूका की याचिका का निपटारा करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि किसी को नाम देना उसकी मौजूदगी को पहचानना है। नामहीन होना, अदृश्य होने के समान है। नाम ही बताता है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। किसी के नाम को नकारना उसके व्यक्तित्व को नकारने के समान है। दस्तावेजों में गलत नाम से व्यक्ति को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि शैक्षिणक रिकॉर्ड में मां का नाम शामिल कर हम उस प्यार, देखभाल और त्याग को स्वीकार करते हैं, जो एक बच्चे के जीवन को आकार देते हैं।

याचिका में अधिवक्ता राहुल शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता की 10वीं और 12वीं की अंकतालिका में उसकी मां का नाम आशा नरूका के बजाए टीना नरूका प्रिंट हो गया। जबकि अन्य सभी दस्तावेजों और विवाह प्रमाण पत्र में उसकी मां का नाम आशा नरूका ही है। याचिकाकर्ता ने 25 जुलाई, 2022 को शिक्षा बोर्ड में शपथ पत्र पेश कर अंकतालिकाओं में मां का नाम सही करने की गुहार की, लेकिन बोर्ड ने कई आपत्तियां लगाकर आवेदन वापस कर दिया। ऐसे में शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिए जाए कि वह अंकतालिकाओं में उसकी मां का नाम सही करे।

वृक्षारोपण की पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाए : दिलावर

जयपुर। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में आज वर्ष 2025 मे सघन वृक्षारोपण करने के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के आव्हान पर पिछली बार हमने प्रदेश में सात करोड़ पौधे लगाए थे। हम इस बार 25 करोड़ पौधे लगाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए पोधारोपण की पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आने वाले समय को पर्यावरण के लिए चुनौती बताते हुए अधिकाधिक पौधे लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

उन्होंने कहा कि इस बार हमने 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा के माध्यम से गड्ढे खुदवाए जाएंगे। ऐसे में एक पेड़ मां के नाम-हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण/वृक्षारोपण किया जाएगा।

दिलावर ने कहा कि यदि मन बनाओगे तो हर काम संभव है। इस बार भी कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री के निर्देशों की पूरी तरह पालना हो। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर पौधे लगाने है। तापमान को नियंत्रण में रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बनाना है। पर्यावरणविदों के अनुसार एक व्यक्ति के करीब 420 पौधे होने चाहिए जबकि प्रदेश में यह अनुपात महज 28 पौधों का ही है। एक जुलाई से पौधारोपण/वृक्षारोपण अभियान शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जगह की कमी नहीं है। उन्होंने पौधारोपण/वृक्षारोपण के लिया स्थान चिंहित करने के निर्देश दिया। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर सभी राजकीय परिसरों, श्मशान, कब्रिस्तान, खेल मैदान , विद्यालय, ओरण क्षेत्र, चारागाह क्षेत्र, स्टेट राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि सभी जगह पौधारोपण/वृक्षारोपण करना है।

प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में विकास कार्यों को मंजूरी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषकों के कल्याण एवं कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और उनका जीवन खुशहाल बनाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर महत्वपूर्ण फैसले किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शर्मा ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए राज्य बजट वर्ष 2025-26 में घोषित सभी नवीन मंडियों, गौण मंडियों एवं फूड पार्क के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने सरकारी के साथ-साथ स्थानीय निकाय क्षेत्रों में भी इन मंडियों, गौण मंडियों एवं फूड पार्क के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन किए जाने की सहमति प्रदान की।

परिंडा वितरण अभियान शुरू

जयपुर। मालवीय नगर विधायक एवं यस सोसाइटी के संरक्षक कालीचरण सराफ व उनकी धर्म पत्नी अलका सराफ ने जवाहर सर्कल से परिंडे वितरित करके की। यस सोसाइटी के अध्यक्ष आशीष सराफ ने बताया कि इस बार भी हमारी सोसाइटी द्वारा पक्षियों के पानी पीने के लिए 1000 परिंडा वितरित किए जाएंगे एवं बांधे जायेंगे।

नाम परिवर्तन

विवाहोपरान्त मैंने अपना नाम किरन पारदर्शानी से बदलकर विधी करनानी पत्नी जितेन्द्र करनानी कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। फ्लैट न. 504, 4 फ्लोर, प्लॉट न. 42, अशोक वाटिका बदरस्वा, मानसरोवर, जयपुर

मै आर्मी नंबर 16028543L नायक वीम सिंह भदौरिया यूनिट 17 राजरिफ (सवाईमान) है। मेरे सैन्य दस्तावेजों में मेरी पत्नी का नाम संध्या है जो की गलत है। मेरी पत्नी का सही नाम कु संध्या है।

मै आर्मी नं. 16028146M नायक शिवरत्न यूनिट 17 राजरिफ (सवाईमान) है। मेरे सैन्य दस्तावेजों में मेरी माताजी का नाम "मंगेज देवी" है। जो गलत है। मेरी माताजी का सही नाम "मंगेस देवी" है।

मैने अपना नाम राजेश कुमार से बदलकर राजेश कुमार शर्मा कर लिया है। राजेश कुमार शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा निवासी- मकान नं- 72 ए, यगदत्त नगर, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे।

After marriage I have changed my name from Sugandha Burad (Jain) to Sugandha Ankit Jain W/o Ankit Jain for all purpose. Resi.: 512/301, Vyas Marg, Rajapark, Jaipur.

खोया पाया

मेरे भूखण्ड संख्या i-19 जेडीए की योजना कल्पना नगर जयपुर का जेडीए से जारी मूल आवंटन पत्र एवं साइड प्लान कही खो गया है सूचित करें - सजनी देवी आहूजा मो - 9314148203

मेरे भूखण्ड सं- I/184 जे.डी.ए. की योजना कल्पना नगर जयपुर का जे.डी.ए. से जारी मूल आवंटन-पत्र कही खो गया है सूचित करे- अजय खोसला मो-9001998869

मेरे आवास सख्या 31/79/02, मानसरोवर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र व कब्जा पत्र कही खो गया है। मिलने पर सूचित करे। हाकिम लाल मेघवाल मो. 6350081658

मेरा Flat No. MA-1/1008 प्रताप अपार्टमेन्ट प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें- प्रमोद कुमार शर्मा, मो.-7976831407

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती अर्चना गुप्ता आयु 51 वर्ष धर्म पत्नी श्री अशोक गुप्ता निवासी मकान नम्बर 30/18/04, स्वर्ण पथ मानसरोवर जयपुर के स्वामित्व व अधिकार का एक आवासीय प्लाट नम्बर 53, योजना श्योनाथ विहार, पांच्यावाला, जिला जयपुर मे स्थित का कमलेश चौधरी पुत्र श्री रामप्रकाश चौधरी निवासी मकान नम्बर 1 हरितवाली ढाणी सायपुरा वार्ड नम्बर 31 सांगानेर बाजार जयपुर ने उक्त प्लॉट का फर्जी व कूटरचित मुख्त्यारनामा आम विनांक 29-3-2024 निष्पादित करवा लिया है जिसे मेरी अभिभाष्या तुरंत प्रभाव से निरस्ती करती है कोई भी व्यक्ति या संस्था उक्त मुख्त्यारनामा आम के आधार पर उक्त को खरीद करता है तो वह शून्य माना जावेगा।
(उमेश कुमार शर्मा) एडवोकेट, मो.-9314029293

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य लिब्रमन सिंह राठौड़ पुत्र श्री जतन सिंह निवासी प्लाट नं. 26, अवरोल हाउस, सिविल लाईन्स, जयपुर, राजस्थान द्वारा श्रीमती समता नवलखा पत्नी श्री विनीत नवलखा निवासी 5, प्रेम निकेतन गणेश कॉलोनी, मोतीडूगरी रोड, जवाहर नगर, जयपुर राजस्थान से उनके एकमात्र स्वामित्व व अधिपत्य की सम्पत्ति ऑफिस नम्बर 205, सैकिण्ड फ्लोर, "सिटी मॉल" प्लाट नम्बर-सी-21-बी, भगवानदास रोड, सी-स्कीम, जयपुर राजस्थान मे स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 519.919 वर्गफीट है को खरीद करने हेतु एच. डी. एफ. सी. बैंक लि. से ऋण प्राप्त कर उक्त सम्पत्ति को बंधक रखना चाहता है। यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को उक्त सम्पत्ति के खरीद / बंधक से किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज हो तो 7 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सम्पर्क करे, बाद मुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नही होगी।
जयपुर (रामेश्वर सिंह राठौड़) एडवोकेट
दिनांक-21.05.2025 मो.नं. 9829256466

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे. एल. एल. मार्ग. जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
क्रमांक 1520 दिनांक 21/05/25
आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर आवास संख्या-1/1077 मालवीय नगर जयपुर क्षेत्रफल 69.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्रीमती तरवीणी देवी अग्रवाल पत्नी श्री राम अवतार अग्रवाल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4557 दिनांक 17.06. 1981 जारी किया गया था। उनके द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर प्रथम मे दिनांक 25.06.1999 को करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमती तरवीणी देवी अग्रवाल पत्नी श्री रामअवतार अग्रवाल के द्वारा उक्त आवास का बेचान उरीये विक्रय पत्र के श्री हरजीत सिंह पुत्र श्री हरजीन्द्र सिंह को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम मे दिनांक 08.06.2004 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री हरजीत सिंह पुत्र श्री हरजीन्द्र सिंह के द्वारा इशिता भरवा पुत्री श्री हरजीत सिंह के पक्ष मे गिफटडीड (बख्शीशनामा) का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर अष्टम् मे दिनांक 30.04. 2025 को करवाया गया। इशिता भरवा पुत्री श्री हरजीत सिंह के द्वारा उक्त गिफटडीड (बख्शीशनामा) के आधार पर उक्त आवास का मूल आवंटी के नाम पंजीयन हो जाने के बाद पश्चातवर्ती अंतिम उपहार रुहिती का नाम मण्डल अभिलेख मे दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया है। अतः नाम दर्ज के संबंध मे किसी भी व्यक्ति / बैंक / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञिप्त प्रकाशन के 07 दिवस मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा उक्त अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त आवेदनकर्ता इशिता भरवा पुत्री श्री हरजीत सिंह का नाम मण्डल रिकार्ड मे दर्ज कर दिया जायेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत तृतीय, रा.आ.म.जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक- 2979 दिनांक-21/05/25
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना मे आवास संख्या 30/122 (EWS), (एरिया 36,000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर को आवंटन श्री भाग चन्द सिन्गी पुत्र श्री गोविन्द राम को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2562 दिनांक 30. 03. 1992 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 1829 दिनांक 20. 06. 1992 को जारी किया गया। श्री सरदार कुलदीप सिंह पुत्र श्री सरदार गुरबचन सिंह के पक्ष मे उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 3194/6098 दिनांक 04.03.2014 के द्वारा किया गया। श्री सरदार कुलदीप सिंह के पक्ष मे उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 07.08.2014 को उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री सरदार कुलदीप सिंह द्वारा उक्त आवास को दिनांक 17.11.2014 के द्वारा श्री केशव कुमार शर्मा पुत्र श्री माखन लाल शर्मा को विक्रय कर सब रजिस्ट्रार, जयपुर-पंचम के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री केशव कुमार शर्मा की मृत्यु दिनांक 10.08.2021 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री तुषार शर्मा पुत्र स्व. श्री केशव कुमार शर्मा द्वारा पंजीकृत हक त्याग के आधार पर मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री तुषार शर्मा पुत्र स्व. श्री केशव कुमार शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 5054 रकबा 0.110 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5053 रकबा 0.0300 हेक्टेयर का 1/3 भाग स्थित कस्बा आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर तथा प्लाट नम्बर 9 व 10 ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम गुरुदेव वाटिका, नयी माता के सामने, दिल्ली रोड, आमेर, जयपुर कुल 1934 वर्गगज जो हमारे अभिभाष्य श्री गाजी सलीम पुत्र स्वर्गीय श्री अब्दुल हुई शमीम निवासी आमेर रोड, जयपुर की भागीदारी की सम्पत्ति है जिसमें हमारे अभिभाष्य के अलावा श्री तारिक सलीम व श्रीमती शाहिदा तारीक भागीदार हैं तथा हमारे अभिभाष्य का 1/2 भाग है। यह कि श्री तारिक सलीम व श्रीमती शाहिदा तारिफ बदनिवसी से उक्त साझेदारी की सम्पत्ति को तनहा अपनी सम्पत्ति बताकर विक्रय अथवा अन्यथा खुर्द बुर्द करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है। यदि कोई व्यक्ति उक्त सम्पत्ति यावत हमारे अभिभाष्य की सहमति के बिना संव्यवहार करेगा तो वह स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
(मुकेश कुत मागुर) एडवोकेट, मो. 9414005942

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री संजय कुमार पुत्र स्व. श्री गोपाल लाल, उम्र 53 वर्ष, निवासी- बी- 46, हरिजन बस्ती, ब्रह्मपुरी बाईपास रोड, जयपुर, राज की ओर से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य अपने बड़े पुत्र राहुल कुमार गुजराती उम्र 34 वर्ष एवं पुत्रवधु श्रीमती नेहा हटवाल पत्नी श्री राहुल कुमार गुजराती पिछले कुछ समय से मेरे अभिभाष्य के कहने में नही है तथा मेरे अभिभाष्य व उसकी पत्नी की किसी भी प्रकार से देखभाल नहीं करते हैं। मेरे अभिभाष्य के पुत्र/ पुत्रवधु का आचरण कहने मे नही हैं। मेरे अभिभाष्य व उनकी पत्नी काफी हैरान परेशान होने से मेरा अभिभाष्य अपने उक्त पुत्र राहुल कुमार गुजराती एवं पुत्रवधु श्रीमती नेहा हटवाल को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करता है। आज के बाद मेरे अभिभाष्य के उक्त पुत्र व पुत्रवधु द्वारा किये गये किसी भी संव्यवहार व कृत्य के लिए मेरे अभिभाष्य किसी भी प्रकार से जिम्मेदार व जवाब देह नहीं होंगे सूचित रहे।
जयपुर (सूर्यप्रकाश मिश्रा) एडवोकेट
दिनांक-21.05.202 मो.नं.-9829056641

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज
क्रमांकः- एफ-56 () सि0ल्ला जो0 / नॉनिज/2025/448 दिनांकः-19/05/2025
अनापत्ति आमंत्रण सूचना
भूखण्ड संख्या 62 मेहनत नगर ऑतिया मस्जिद जयपुर का पटटा जयपुर नगर निगम द्वारा श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री हरजी नाथ के नाम से जारी किया गया था। श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री हरजी नाथ की मृत्यु पश्चात उनके वारिसानो द्वारा जरिये पंजीकृत हक त्याग पत्र के द्वारा उक्त भूखण्ड का हक त्याग श्री सुरेश कुमार जोगी पुत्र श्री हरजी नाथ के पक्ष मे किया गया। तत्पश्चात श्री सुरेश कुमार जोगी पुत्र श्री हरजी नाथ के द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान श्रीमती नर्गिस पत्नी श्री मो0 युसूफ को किया गया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण श्रीमती नर्गिस पत्नी श्री मो0 युसूफ के नाम "से जारी किया जाना है। किसी संस्था, फर्म, कम्पनी व किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम हस्तान्तरण के संबंध मे आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय मे सात दिवस में आपत्ति पेश करे अन्यथा सात दिवस पश्चात उक्त भूखण्ड मे नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त, सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त- प्रथम, प्रताप नगर
क्रमांकः 2952 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 21.05.2025
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवासीय भूखण्ड संख्या 103/40 (MIG-A), (एरिया 90.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती महादेवी सारस्वत पत्नी श्री तुलसी प्रसाद सारस्वत को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1675 दिनांक 12.01.1999 को जारी किया गया। श्रीमती महादेवी सारस्वत के पक्ष में उक्त आवासीय भूखण्ड के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 15.02.2007 को उप पंजीयक सांगानेर- प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती महादेवी सारस्वत द्वारा उक्त आवासीय भूखण्ड को दिनांक 15.02.2007 के द्वारा श्रीमती गीता कवंर पत्नी श्री भवंर सिंह को